

सहायक कलक्टर एवं पदेन  
उपखण्ड अधिकारी, बाली

२५<sup>६</sup>/<sub>२५</sub>

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी व उनके  
अधिवक्ता अनुपस्थित रहे। पत्रावली  
के अनवान के अनुसार तीन बार  
आवाजे लगाई जाने के बावजूद  
प्रार्थी व उनके अधिवक्ता अनुपस्थित  
रहे हैं। अतः पत्रावली अदम टाजरी  
एवं अदम पैरवी में खारिज की  
जाती है। पत्रावली फैसल शुमार  
होकर नंबर से कम हो।



सहायक कलक्टर एवं पदेन  
उपखण्ड अधिकारी, बाली